न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट (पीठासीन अधिकारी—अमनदीप सिंह छाबडा)

आप. प्रक. क.—669 / 2014 संस्थित दिनांक—17.07.2014 फाई लिंग नं.3002392014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

– – – <u>अभियोजन</u>

- ॅ / / <u>विरूद</u>्ध / /
- 1.प्रदीप राजपूत पिता मदनलाल सिंधी उम्र 24 वर्ष, निवासी बाजार चौक गढ़ी थाना गढ़ी जिला जिला—बालाघाट (म.प्र.)
- 2. निंशा राजपूत पिता मदनलाल सिंधी उम्र 26 वर्ष, निवासी बाजार चौक गढ़ी थाना गढ़ी जिला जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — <u>आरापागण</u>

// <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक-04/10/2017 को घोषित)</u>

- 01— आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324/34 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—06.07.2014 को समय शाम करीब 07:00 बजे थाना गढ़ी अंतर्गत बाजार चौक गढ़ी में सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत/फरियादी मदनलाल राजपूत को धारदार वस्तु फावड़े से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी मदनलाल राजपूत ने दिनांक—07.07.2014 को आरक्षी केन्द्र गढ़ी में आकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 06.07.2014 को आरोपीगण एक राय होकर मुक्तम हटाने की बात पर उसे मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियां देकर फावड़ा छुड़ाकर एवं पत्थर पकड़कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर जमानत—मुचलका पर रिहा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क. 59/07 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

- 03— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया।
- 04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-
 - 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—06.07.2014 को समय शाम करीब 07:00 बजे थाना गढ़ी अंतर्गत बाजार चौक गढ़ी में सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत / फरियादी मदनलाल राजपूत को धारदार वस्तु फावड़े से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

सकारण निष्कर्ष :-

05— 🔷 र्रफरियादी मदनलाल राजपूत (अ.सा.1) ने कहा हैं कि वह आरोपीगण को जानता है, जो उसके पुत्र एवं पुत्री हैं। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 02 वर्ष पूर्व ग्राम गढ़ी की है। घटना के समय उसका आरोपीगण से पारिवारिक विवाद हुआ था, जो लोगों की समझाईश पर शांत हो गया था। बाद में घटना की शिकायत साक्षी ने पुलिस थाना गढ़ी में किया था, जो प्रपी-01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 06.07.2014 को शाम करीब 07:00 बजे मुरूम उठाने की बात पर प्रदीप ने उसे मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी थी और उसके बांये गाल पर मार दिया था, तभी लड़की निशा आई और उसने फरियादी को गालियाँ देते हुए पत्थर से कंधे एवं पसली में मारकर चोट पहुंचाई थी। अभियुक्त प्रदीप ने उसे जान से मारने की धमकी दिया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-03 का बयान पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपीगण के साथ पारिवारिक विवाद हुआ था, जो घरवालों की समझाईश पर शांत हो गया था। आरोपीगण ने किसी प्रकार की गाली-गलौच एवं मारपीट नहीं की थी। वर्तमान में उसका आरोपीगण से कोई विवाद नहीं है तथा वह उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है 🌈

- फरियादी मदनलाल राजपूत असा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि वर्तमान में उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है और वह आरोपीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेहरि परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने आहत / फरियादी मदनलाल राजपूर्व को धारदार वस्तु फावड़े से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की थी। अतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–324 / 34 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहे हैं। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे ।
- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक पत्थर मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व ALIMANA PARENTO SUNT. दिनांकितं कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट